(नियम 26)

राजस्व अपील प्राधिकारी,अलवर

अज अदालत राजस्व अपील प्रा० मुकाम अलवर

पुष्पादेवी बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 225 RT Act नं. सन् 74/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.10.19	पत्रावली बाद जांच रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। अपील मियाद बाहर पेश की गई है । पत्रावली उपखण्ड अधिकारी अलवर के कोर्ट कैम्प सिरमौली के निर्णय दिनांक 04.06.2018 के विरूद्ध लोक अदालत में किये गये निर्णय के खिलाफ पेश की गई है। अभि. अपीलांट द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट विवादित आराजी की खातेदार काश्तकार है एवं काफी समय से काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है। विवादित आराजी गाजूकी नदी से अलग है जिसकी अपीलांट खातेदार काश्तकार है। गाजूकी नदी पर अपीलांट द्वारा किसी तरह का कोई कब्जा नही किया हुआ है। अपीलांट द्वारा अपनी खातेदारी की आराजी में से कुछ भाग कृषि कार्य से गैर कृषि प्रयोजनार्थ हेतु आज्ञा प्राप्त करने के आदेश प्राधिकृत अधिकारी नगर सुधार न्यास अलवर के यहां पेश किया जिसमें तहसीलदार पटवारी कानूनगो व अन्य विभागों की रिपोर्ट मंगाई गई। उन सभी ने अपीलांट की खातेदारी की आराजी मानते हुये अपीलांट की जमीन के उत्तर में गैर मुमकिन नदी दर्शाई थी।ऐसे में तहसीलदार द्वारा भराव क्षेत्र में मानते हुये बिना कनवर्जन निर्माण कार्य करना दावे व टी.आई में दर्शाया गया है। यह भी प्रार्थना की गई कि अपीलांट को बिना तामील कराये, सुनवाई का अवसर दिये बिना राजस्व लोक अदालत में निर्णय सादिर फरमाया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20(3) में यह प्रावधान है कि जो प्रकरण लोक अदालत के समक्ष लिया गया है, वहां लोक अदालत उस मामले या विषय का निपटारा करने के लिये अग्रसर होगी और पक्षकारों के बीच समझौता करायेगी या परिनिर्धारण करेगी। इस अधिनियम की धारा 21 व 22 में अत्यन्त प्रासंगिक है जो निम्नानुसार है– (1) लोक अदालत का प्रत्येक निर्णय, अधिनिर्णय यथा स्थिति सिविल न्यायालय की डिक्री या किसी अन्य न्यायालय का आदेश माना जायेगा और ऐसे किसी लोक अदालत द्वारा धारा 20 की उपधारा 1 के अधीन उसका निर्णय किसी लोक अदालत द्वारा मामले में समझौता या परिनिर्धारण किया गया है, वहां ऐसे मामले में संदत्त न्यायालय फीस, न्यायालय फीस अधिनियम 1870 के उपबंधित रीति से लौटा दी जायेगी। (2) लोक अदालत या स्थाई लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अन्तिम और विवाद के सभी पक्षकारों पर होगा तथा अधिनिर्णय के खिलाफ किसी न्यायालय में कोइ अपील नही होगी। हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी। तहत अदालत के निर्णय का अवलोकन किया। बहस पर मनन करने उपरान्त हम ये आदेश देना उचित समझते हैं कि प्रथम तो उक्त अपील लोक अदालत के निर्णय के खिलाफ पेश की गई है। दूसरा तहत अदालत द्वारा अपील में वर्णित सभी बिन्दुओं का अवलोकन नही किया जाकर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया गया है।तहत अदालत के आदेश दिनांक 04.06.2018 के प्रचलन को रोका जाता है एवं उक्त अपील को तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पुनः दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देते हुये विधिसम्मत अपना निर्णय पारित करें । आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।	